



श्रामान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 ।

PBR/अपील/भोपाल/स्टांप अधीक्षा/2018/1510 द्वितीय अपील कं. / 2018

रफीक मो. पुत्र श्री उस्मान मो. आयु व्यस्क,

निवासी— कोयले वाली गली,
शाहजहाँनाबाद भोपाल म0प्र0 ।

(मानव संग्रहीत
७ २६-२-१७०१)

प्राप्त २६२

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ
जिला पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय
39/6, परिबाजार, बेनजीर भवन भोपाल म.प्र.

विरुद्ध

(85)

अपीलार्थी

मानव संग्रहीत
७ २६-२-१७०१
अपील दिनांक १२-१२-२०१८
को पेश।

प्रत्यार्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47(5) भारतीय मुद्रांक अधिनियम ।

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/09/17 जो कि उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 712/अपील/12-13 (आयुक्त महोदय का प्रकरण क्रमांक 206/अपील/11-12) (रफीक मो.0 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित किया है से दुखी एवं क्षुब्ध होकर निम्नालिखित कारणों एवं आधारों पर अपील पेश की जा रही है ।





XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(7)

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/भाष्टा/८२१४/१८/१५/१०
भाग-अ

राष्ट्रीय अधिकारी विरुद्ध ग्वालियर

तहसील जिला झांगल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक १५-१-१८</p> <p>के विरुद्ध श्री उकात्रा विद्युत जाइ अधिकारी के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	
28-2-18	<p>आवेदन आदेश श्री उकात्रा विद्युत जाइ अधिकारी प्रस्तुतकार उकात्रा विद्युत जाइ अधिकारी प्रस्तुतकार उकात्रा विद्युत जाइ अधिकारी प्रस्तुतकार उकात्रा विद्युत जाइ अधिकारी प्रस्तुतकार</p>	
		<p>28-2-18</p> <p>28-2-18</p>